

ऊँ
अग्रवाल शिक्षा संस्थान
मोतीनगर, लखनऊ
का संविधान
(संशोधित दिनांक 09.06.2024)

1. (i) नाम:— संस्था का नाम 'अग्रवाल शिक्षा संस्थान' होगा।
(ii) स्थित:— इसका प्रधान कार्यालय मोतीनगर, लखनऊ-226004 में स्थित होगा।
(iii) इन नियमों में जब तक कि विषय अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:—
(क) संस्थान से तात्पर्य 'अग्रवाल शिक्षा संस्थान' होगा।
(ख) सदस्यों से तात्पर्य यथाविधि संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति से होगा।
(ग) साधारण सभा से तात्पर्य 'अग्रवाल शिक्षा संस्थान' की साधारण सभा से है।
(घ) कार्यकारिणी समिति अथवा समिति से तात्पर्य 'अग्रवाल शिक्षा संस्थान' की कार्यकारिणी समिति से है।
(ङ) व्यक्ति से तात्पर्य अग्रवाल, माहेश्वरी, खण्डेलवाल व जैन जाति के किसी व्यक्ति से है।
(च) संस्थान की 'इकाई' / 'इकाईयों' से तात्पर्य निम्न शिक्षण संस्थाओं से होगा:—
 1. महाराजा अग्रसेन विद्यालय, मोतीनगर, लखनऊ
 2. महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय, डालीगंज, लखनऊ
 3. महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, मोतीनगर, लखनऊ
 4. महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, गोमती नगर, लखनऊ
 5. महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम्, लखनऊ
- (छ) (भविष्य में संस्थान की नई इकाई सृजित किये जाने की दशा में, नवीन इकाई का नाम कार्यकारिणी समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।)
- (छ) संस्थान के निम्न उपकम कहलायेंगे:—
 1. बेणी प्रसाद हलवासिया स्मृति भवन,
 2. सेठ रामजस हॉल,
 3. महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय,
 4. अग्रोहा किल्स,
 5. लाला विशभर दयाल हॉल एवं
 6. स्केटिंग हॉल
- (भविष्य में संस्थान का नया उपकम सृजित किये जाने की दशा में, नवीन उपक्रम का नाम कार्यकारिणी समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।)

2. उद्देश्यः

- (i) संस्थान का प्रमुख उद्देश्य वैश्य समुदाय के बौद्धिक तथा वित्तीय संसाधनों को जाति, पंथ या धर्म के विभेद के बिना आम जनता की सेवा और उसके कल्याण में लगाना है।
- (ii) ऐसी शिक्षण संस्थाओं को, जो आधुनिक ढंग से सामान्य, व्यवसायिक, धार्मिक और औद्योगिक शिक्षा प्रदान कर सकें, प्रारम्भ करना, उनका रख-रखाव करना और उन पर नियंत्रण करना।
- (iii) विधार्थियों में स्वरथ्य खेल-कूद की प्रवृत्ति का विकास करना तथा इस हेतु उनके खेलकूद की समुचित व्यवस्था करना और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देना।
- (iv) सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए समुचित संसाधन, सामयिक रूप से उपलब्ध कराने हेतु धर्मशालाओं, अतिथि-भवनों आदि का निर्माण करना तथा उनका रख-रखाव करना।
- (v) जनता को सरती और निःशुल्क चिकित्सीय सहायता देने के लिए औषधालयों एवं चिकित्सालयों का विकास करना तथा उनका रख-रखाव करना।
- (vi) संस्थान के सदस्यों एवं परिवारों में आपसी सदभाव एवं मेल-मिलाप हेतु समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (vii) संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समुचित धन की व्यवस्था, दान व किराये आदि की आय से करना।

3. सदस्यता :

वैश्य समुदाय के अग्रवाल, माहेश्वरी, खण्डेलवाल एवं जैन वर्ग के ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, स्त्री व पुरुष दोनों ही संस्थान के सदस्य बन सकते हैं।

संस्थान के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(I) संरक्षक सदस्य-

जो व्यक्ति संस्थान के संरक्षक सदस्य बनने के इच्छुक हों, वह विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु संस्थान को एकमुश्त रूपये 51 हजार अंशदान के चेक / डी.डी /बी.टी. के साथ अपेक्षित सदस्यता फार्म भरकर अपने आधार कार्ड (या अन्य कोई पहचान पत्र) तथा पैन कार्ड के साथ दे सकते हैं।

(II) आजीवन सदस्य-

क- मौजूदा वर्तमान में जो आजीवन / संरक्षक सदस्य हैं, उनके निधन होने की दशा में दिवंगत सदस्य के स्थान पर उनका निर्विवाद उत्तराधिकारी (धर्मपत्नी, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र, पौत्रवधू, पुत्री, पौत्री में से कोई एक) आजीवन सदस्य बनने हेतु, विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु संस्थान को एकमुश्त रूपये पाँच हजार अंशदान के चेक / डी.डी /बी.टी. के साथ अपेक्षित फार्म भरकर अपने आधार कार्ड (या अन्य कोई पहचान पत्र) तथा पैन कार्ड के साथ प्रार्थना पत्र वर्तमान सदस्य के निधन के 06 माह के अन्दर संस्थान कार्यालय में दे सकते हैं।

ख- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले आजीवन/संरक्षक सदस्य यदि चाहें तो, पति, धर्मपत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र, पौत्रवधू, पुत्री, पौत्री में से किसी एक को अपने स्थान पर संस्थान की सदस्यता हेतु उत्तराधिकारी नामित कर सकते हैं। नामित उत्तराधिकारी, आजीवन सदस्य बनने हेतु विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु संस्थान को एकमुश्त रूपये 11 हजार अंशदान के चेक/डी.डी./बी.टी के साथ अपेक्षित फार्म भरकर अपने आधार कार्ड (या अन्य कोई पहचान पत्र) तथा पैन कार्ड के साथ प्रार्थना पत्र वर्तमान सदस्य से अनुमोदित कराकर संस्थान कार्यालय में दे सकते हैं।

(III) निरस्त

(IV) निरस्त

(V) निरस्त

- (VI) संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित संस्थाओं / इकाईयों एवं उपकरणों के कर्मचारी संस्थान की सदस्यता के लिए अर्ह न होंगे।
- (VII) ऐसे सभी व्यक्ति जो संस्थान के आजीवन सदस्य बनने के इच्छुक हों, अपेक्षित फार्म भरकर अपना प्रार्थना पत्र देंगे, जिसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति को बिना कोई कारण बताये किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. अनर्हतायें:

किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से अयोग्य अथवा दिवालिया हो गया हो अथवा जो किसी फौजदारी के अपराध में सजायापता हुआ हो (इसमें राजनैतिक या व्यावसायिक अपराध शामिल नहीं किये जायेंगे)। संस्थान का सदस्य बनने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. सदस्यता की समाप्ति:

संस्थान के किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित के द्वारा समाप्त हो जायेगी।

- (i) त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर।
- (ii) कोई भी सदस्य यदि वह पागल अथवा दिवालिया हो जाये अथवा किसी फौजदारी के अपराध में अथवा नैतिक पतन के कारण सजायापता हुआ हो, तो संस्थान की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (iii) निरस्त
- (iv) यदि किसी सदस्य के कार्य अथवा गतिविधियाँ संस्थान के हितों के विरुद्ध हो, या उनसे संस्थान की गरिमा को उल्लेखनीय हानि पहुंची हो तो उसकी सदस्यता, कार्यकारिणी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उपरिथित सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से निरस्त की जा सकेगी, किन्तु सदस्यता की निरस्तता का निर्णय लेने से पूर्व सदस्य को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना आवश्यक होगा।
- (v) कोई भी सदस्य जो किसी पदाधिकारी अथवा कार्यकारिणी समिति के निर्णय से असंतुष्ट हो तो उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। यदि कोई सदस्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे अध्यक्ष से यह प्रार्थना करने का अधिकार है कि उसके दृष्टिकोण पर साधारण सभा की सामान्य बैठक अथवा एक विशेष सामान्य बैठक में विचार-विमर्श किया जाये। यदि वह यह चाहता है कि उस विषय पर एक विशेष सामान्य बैठक में विचार किया जाये तो उसे इस प्रकार की विशेष बैठक के खर्चे के रूप में 3000 रु. (तीन हजार रुपये मात्र) जमा करने होंगे। यदि सदस्य इन सब उपायों को करने से पूर्व ही न्यायालय की शारण लेता है तो वह संस्थान की सदस्यता से स्वतः वंचित हो जायेगा।

6. प्रबन्ध मण्डल:

संस्थान के प्रबन्ध-मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-

- (i) साधारण सभा
- (ii) कार्यकारिणी समिति
- (iii) निरस्त

7. साधारण सभा –संस्थान की साधारण सभा में समस्त संरक्षक, आजीवन सदस्य, सम्मानित आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य एवं व्यवसायिक संस्थाओं के मनोनीत सदस्य समिलित होंगे। संस्थान का सर्वोच्च प्राधिकार साधारण सभा में निहित होगा। साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः

- (i) पिछली बैठक के कार्यवृत्त, वार्षिक आख्या तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्तुत किये गये वार्षिक सम्प्रेक्षित लेखे पर विचार करना और उन्हें पारित करना।
- (ii) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव करना।
- (iii) साथ ही साथ संस्थान की इकाईयों के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव करना।
- (iv) निरस्त
- (v) ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना जो मंत्री को लिखित रूप से बैठक के दिनांक से 15 दिन पूर्व प्राप्त हुए हों। ऐसे सभी प्रस्ताव बैठक के दिनांक से तीन दिन पूर्व मंत्री द्वारा सदस्यों को परिचालित किये जाने चाहिए।
- (vi) कार्यकारिणी समिति द्वारा इसके समक्ष लाया गया कोई कार्य सम्पादित करना।
- (vii) नीतिपरक सभी निर्णय लेना।
- (viii) अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्य।

8. बैठकें:

- (i) सामान्य बैठक—संस्थान की सामान्य बैठक अनिवार्यता वर्ष में एक बार होगी, किन्तु बैठक की तिथि तथा एजेण्डा कार्यकारिणी समिति द्वारा नियत किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक की पूर्व सूचना सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
- (ii) विशेष बैठक – जिस कार्य हेतु बैठक बुलाई जानी हो, उसका विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से किसी कार्य पर विचार करने हेतु जैसा कि अध्यक्ष या कार्यकारिणी समिति द्वारा चाहा गया हो, मंत्री साधारण सभा की विशेष सामान्य बैठक बुला सकता है।
- (iii) आपातकालिक बैठक – जब आवश्यकता हो तब अध्यक्ष आपातकालिक बैठक बुला सकता है जिसके लिए एक सप्ताह का नोटिस पर्याप्त होगा।
- (iv) अधियाचित बैठक – साधारण सभा के कम से कम 51 सदस्यों के लिखित आवेदन पर, जिनमें उस उद्देश्य अथवा कार्य का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है, जिसके लिए बैठक की मांग की जाये, साधारण सभा की अधियाचिक बैठक एक माह के अन्दर अवश्य बुलाई जायेगी। ऐसी बैठक में सामान्तया केवल उसी कार्य–सूची पर विचार किया जायेगा जिसके लिए बैठक बुलाई गई हो, किन्तु अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक कार्यों पर भी तदुपरान्त विचार किया जा सकता है।

9. गणपूर्ति:

- (i) साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति संस्थान के 1/8 सदस्य या 51 सदस्य जो भी कम हो, होगा।
- (ii) साधारण सभा की बैठक की सूचना चपरासी की पंजी, कोरियर, सामान्य डाक, एस.एम.एस. अथवा ई–मेल द्वारा भेजी जायेगी, जिसका किसी सदस्य को न प्राप्त होना उस बैठक को रथगित करने का पर्याप्त कारण नहीं समझा जायेगा।

(iii) रथगित सामान्य बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, किन्तु ऐसी बैठक में केवल मूल बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची पर ही विचार किया जायेगा। रथगित बैठक एक सप्ताह बाद उसी स्थान और उसी समय पर होगी, जिसकी सूचना एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

10. कार्यकारिणी समिति:

- (i) संस्थान तथा उसके उपकरणों के कार्यों का प्रबन्ध, कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नये पदाधिकारी और सदस्य न चुन लिये जायें। कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य या सदस्यों या पदाधिकारियों की मृत्यु होने अथवा उनके त्यागपत्र देने अथवा सदस्यता समाप्त होने पर शेष कार्यकारिणी समिति निष्क्रिय नहीं मानी जायेगी और उसे उन रिक्त स्थानों को संस्थान के सदस्यों में से चुनकर भरने का अधिकार होगा।
- (ii) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य समिलित होंगे।
(क) अध्यक्ष—एक
(ख) वरिष्ठ उपाध्यक्ष—एक
(ग) उपाध्यक्ष—तीन
(घ) मंत्री—एक
(ङ) संयुक्त मंत्री—एक
(च) शिक्षा मंत्री—एक
(छ) कोषाध्यक्ष—एक
(ज) सदस्य—बारह
(झ) एक मीडिया प्रभारी
(ज) संस्थान द्वारा संचालित सभी इकाईयों के अध्यक्ष एवं मंत्री।
- (iii) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- (iv) संस्थान के अध्यक्ष, मंत्री एवं शिक्षामंत्री संस्थान द्वारा संचालित इकाईयों की प्रबन्ध समितियों के पदेन सदस्य होंगे।

11. कार्यकारिणी समिति की बैठक:

- (i) अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक साधरणतया 3 माह में एक बार बुलाई जायेगी ताकि साल में कम से कम 4 बैठक आवश्य हों। सूचना बैठक से कम से कम 5 दिन पूर्व, कार्यसूची सहित दी जायेगी।
- (ii) विशेष बैठक —आवश्यकता पड़ने पर अथवा कार्यकारिणी के वर्तमान सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिखित मांग प्रस्तुत किये जाने पर मंत्री अध्यक्ष के परामर्श से विशेष बैठक बुलायेगा। इस बैठक में किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जायेगी। ऐसी बैठक बुलाने के लिए दो दिन पूर्व इसकी सूचना दिया जाना अपेक्षित होगा।
- (iii) आपातकालीन बैठक —आपातकालीन मामलों में अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के उपलब्ध सदस्यों की अथवा जहां तक संभव हो दूरभाष द्वारा सम्पर्क करके उपलब्ध होने वाले सदस्यों की आपातकालीन बैठक बुला सकता है, परन्तु यह आवश्यक होगा कि उक्त बैठक में लिये

- गये निर्णयों की पुष्टि कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक के द्वारा 10 दिन के अन्दर करा ली जाये।
- (iv) आवश्यक बैठक – अध्यक्ष या मंत्री आवश्यक कार्यों के लिए बैठक बुला सकता है। ऐसी बैठक बुलाने के लिए दो दिन पूर्व सूचना देना अपेक्षित होगा तथा केवल कार्यसूची पर ही विचार किया जायेगा।
- (v) क. कार्यकारिणी समिति की बैठक की गणपूर्ति हेतु सदस्यों की संख्या का 1/3 या 11 सदस्य की (जो भी कम हो) उपस्थिति अनिवार्य होगी।
ख. इसी प्रकार इकाईयों की बैठक में 1/3 अथवा 6 सदस्य की (जो भी कम हो) उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (vi) बैठक प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के बाद 30 मिनट तक यदि अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक स्थगित समझी जायेगी। स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु उसकी सूचना सभी सदस्यों को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी और सामान्तर्या स्थगित बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जायेगी।
- (vii) सभी मामलों में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा। बराबर मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष के निर्णायक मत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

12. मतदान:

- (i) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (ii) किसी सदस्य को अन्य सदस्य के बदले में मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iii) निरस्त
- (iv) कोई सदस्य जिसकी सदस्यता को 5 वर्ष पूरे न हुए हों उसे अध्यक्ष अथवा मंत्री पद के लिए प्रत्याशी बनने के लिए अर्ह नहीं माना जायेगा।

13. निर्वाचन:

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया जायेगा:—

- (i) कार्यकारिणी समिति, संस्थान एवं इसकी इकाईयों के निर्वाचन करवाने हेतु एक निर्वाचन अधिकारी तथा दो सहायक निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन अधिकारी की सहमति से) मनोनीत करेगी एवं चुनाव की तिथि निश्चित करेगी। निर्वाचन सम्बन्धित किसी मामले में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ii) मंत्री द्वारा चुनाव अधिकारी के सहयोग से चुनाव की तिथि एवं चुनाव कार्यक्रम की सूचना सभी सदस्यों को चपरासी की पंजी, कोरियर, सामान्य डाक, एस.एम.एस. अथवा ई-मेल द्वारा भेजी जायेगी तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी के एक स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी। निर्वाचन में सभी संरक्षक सदस्य एवं आजीवन सदस्य भाग लेने के पात्र होंगे।
- (ii) चुनाव संस्थान के निम्न पदों के लिए कराये जायेंगे:—

- (क) अध्यक्ष—एक
- (ख) वरिष्ठ उपाध्यक्ष—एक
- (ग) उपाध्यक्ष—तीन
- (घ) मंत्री—एक
- (ङ) संयुक्त मंत्री—एक
- (च) शिक्षा मंत्री—एक
- (छ) कोषाध्यक्ष—एक
- (ज) सदस्य—बारह
- (झ) मीडिया प्रभारी—एक

उपरोक्त के साथ—साथ :—

(ज) संस्थान द्वारा संचालित सभी इकाईयों के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष।

किसी पद के इच्छुक सदस्यों को प्रत्याशी बनने हेतु नियत नामांकन पत्र भरना होगा तथा संस्थान के कार्यालय में निर्धारित शुल्क सहित जमा करना होगा।

- (IV) नामांकन केवल चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रमानुसार संख्याक्रित फार्म में ही भरे जा सकते हैं और संस्थान के कार्यालय द्वारा रु. 500/- प्रति फार्म के भुगतान पर जारी किये जायेंगे। प्रत्याशी को प्रत्येक पद हेतु नामांकन पत्र के साथ सहयोग राशि रु. 2100/- जमा करनी होगी जो वापस नहीं होगी।
- (V) सभी नामांकन नामांकित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, यथाविधि से प्रस्तावित व अनुमोदित होने चाहिए। प्रस्तावकर्ता अनुमोदनकर्ता को उस पद का अवश्य उल्लेख करना चाहिए, जिसके लिए उनका नामांकित व्यक्ति निर्वाचन का प्रत्याशी हो।
- (VI) निरस्त
- (VII) एक सदस्य संस्थान या उसकी इकाईयों के एक ही पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है।
- (VIII) नामांकन निर्वाचन तिथि से 10 दिन पूर्व तक होंगे।
- (IX) चुनाव के दिन से 9 दिन पूर्व निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी।
- (X) नामांकन पत्रों की जांच करने के पश्चात् कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के दिन से 7 दिन पूर्व तक निर्वाचन से अपना नाम वापिस ले सकता है।
- (XI) सभी प्रत्याशियों के नाम निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् नोटिस बोर्ड पर लगा दिये जायेंगे। किसी भी सदस्य द्वारा मतदाता सूची की प्रतियाँ संस्थान के कार्यालय से रूपये 200/- मात्र भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है, और किसी आपत्ति की दशा में ऐसी आपत्ति नामांकनों की तिथि के पूर्व कार्यालय में दर्ज करानी चाहिए, ऐसी आपत्तियाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा निस्तारित की जायेंगी जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (XII) मतदान— मत देने के लिए कोई अर्ह और उपस्थित व्यक्तियों द्वारा गुप्ता मतदान होगा।
- (XIII) मतदान का समय 6 घंटे होगा।
- (XIV) निर्वाचन में पड़े मतों के बाराबर होने की दशा में जहां पद के लिए दो प्रत्याशी हों, मामला सिक्का उछालने के (Toss) द्वारा और बराबर मतों वाले दो से अधिक प्रत्याशियों के होने की दशा में लाट्स (Lots) द्वारा तय किया जायेगा।

14. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- क. कार्यकारिणी समिति संस्थान के प्रबन्ध और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी और वह यह देखेगी कि उनसे प्राप्त समस्त आय उनके वैध सम्मत उद्देश्यों हेतु उपयोग की जा रही है।

- (ख) संस्थान और इसके उपक्रमों हेतु स्वीकृत बजट में से आवर्तक और अनावर्तक व्यय हेतु निधियों की व्यवस्था करना और उन्हें स्वीकृत करना।
- (ग) किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जब आवश्यक हो उप-समिति नियुक्त/नामित करना। उप-समिति की बैठक के मिनीट्स अगली कार्यकारिणी की बैठक में अवश्य रखे जायें। उप-समिति का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।
- (घ) उपक्रमों हेतु 11 सदस्यों की समिति नामित/मनोनीत करना। इन समितियों का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा। संस्थान के अध्यक्ष एवं मंत्री उपक्रमों की समितियों के पदेन सदस्य होंगे।
- (ङ) उपक्रमों के स्टॉफ और अन्य कर्मचारियों की संख्या नियत करना और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करना, कर्मचारियों को नियुक्त करना, हटाना, दण्डित करना।
- (छ) वार्षिक प्रतिवेदन तथा संप्रेक्षित लेखा साधारण सभा के अनुमोदनार्थ स्वीकार करना और प्रस्तुत करना।
- (ज) पदाधिकारियों की अनुपरिथिति में उनके कार्यों का प्रबन्ध करना।
- (झ) कार्यकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। कार्यकारिणी समिति के किसी निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ नहीं की गयी हैं।
- (ञ) संस्थान के नियमों एवं, उनके अन्तर्गत बनाये गये उप-नियमों का परिभाषीकरण, समिति का एकाधिकार होगा। नियमों विनियमों के आधीन संस्थान से सम्बन्धित किसी आदेश पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समिति से 50 प्रतिशत से अधिक संख्या में त्याग-पत्र दिये जाने की रिथिति में उक्त स्थानों को निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा, किन्तु ऐसी रिथिति में समिति द्वारा दो माह के अन्दर निर्वाचन कराया जायेगा।
- (ट) कार्यकारिणी समिति का रूप स्थाई होगा। किसी पदाधिकारी की मृत्यु अथवा त्याग-पत्र की दशा में कार्यकारिणी समिति भंग नहीं मानी जायेगी।
- (ठ) साधारण बैठक, आपात बैठक या साधारण विशेष बैठक आयोजित करना तथा इन बैठकों का एजेण्डा पास करना। संस्थान व उसकी इकाईयों के निर्वाचन के निमित्त निर्वाचन अधिकारी एवं दो सहायक निर्वाचन अधिकारी मनोनीत करना।
- (ड) फिक्स डिपाजिट रसीदों को नामित करना, प्रतिभूति लेना तथा कार्यकारिणी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के पूर्वानुमोदन से संरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना।
- (ढ) संस्थान से सम्बन्धित धनराशि जमा करने हेतु बैंक या बैंकों का अनुमोदन करना।
- (त) संस्थान की इकाईयों की प्रबन्ध समिति में चुनकर आये पदाधिकारी – अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पदाधिकारियों / सदस्यों को नामित/मनोनीत करना तथा समय-समय पर रिक्त हुए स्थानों की, सम्बन्धित इकाई से संस्तुति प्राप्त कर पूर्ति करना। नामित/मनोनीत पदाधिकारियों/सदस्यों का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।
- (थ) कार्यकारिणी समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्यों को नामित / मनोनीत किया जा सकेगा किन्तु :-
- क. विशेष आमंत्रित सदस्यों को वोट का अधिकार नहीं होगा।
 - ख. विशेष आमंत्रित सदस्यों की आयु कम से कम 50 वर्ष होगी।
 - ग. विशेष आमंत्रित सदस्यों की सदस्यता कम से कम 5 वर्ष पुरानी हो।
 - घ. किसी भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - ङ. विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।
- (द) संस्थान की इकाईयों की प्रशासन योजना / नियमावली संबद्ध बोर्ड की संबद्धता उपनियम के दृष्टिगत बनाना तथा समय-समय पर सम्बद्ध बोर्ड के निर्वेशानुसार अथवा आवश्यकतानुसार संशोधित करना।
- (ध) इकाईयाँ एवं उपक्रम अपने नाम के साथ 'अग्रवाल शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित' का उल्लेख अवश्य करें, यह सुनिश्चित करना।

- (न) संरक्षक / आजीवन सदस्यता शुल्क / अंशदान निर्धारित करना एवं समय-समय पर उसमें वृद्धि करना तथा वृद्धि को साधारण सभा से पास कराना।
- (प) निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी शुल्कों में समय-समय पर वृद्धि करना तथा बढ़े हुए शुल्क को साधारण सभा से पास कराना।
- (फ) लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना तथा पारिश्रमिक नियत करना।

टिप्पणी:

ऐसा कोई सदस्य जो बिना पर्याप्त कारण अथवा अवकाश प्राप्त किए हुए लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा, समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। तीसरी बैठक के समय ऐसी सूचना सम्बन्धित सदस्य को दे दी जायेगी तथा फलस्वरूप रिक्त स्थानों को कार्यकारिणी समिति द्वारा भर लिया जायेगा।

15. पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार:

- (क) अध्यक्ष
 - (i) संस्थान तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 - (ii) संस्थान के उद्देश्य पूर्ति के दृष्टिकोण से कार्यों की देख-रेख करना।
 - (iii) अगली बैठक में कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में 50,000/- रुपये तक व्यय की गई धानराशि स्वीकृत करना।
 - (iv) किसी मंत्री के लिखित अनुरोध, कि वह अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, पर कार्य की अस्थायी व्यवस्था करना।
 - (v) वरिष्ठ उपाध्यक्ष / उपाध्यक्ष को कार्य आवंटित करना।
 - (vi) आपातकालीन मामलों में अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी समिति की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि आपातकालीन किसी मामले में अध्यक्ष द्वारा कृत कार्यवाही से कार्यकारिणी समिति को अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा। ऐसे मामलों में बैठक एक सप्ताह के अन्दर बुलानी चाहिए।
- (ख) वरिष्ठ उपाध्यक्ष:
 - (i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्थान तथा कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करना।
 - (ii) अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया संस्थान का अन्य कोई भी कार्य करना।
- (ग) उपाध्यक्ष:
 - (i) अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्थान तथा कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करना।
 - (ii) अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया संस्थान का अन्य कोई भी कार्य करना।
- (घ) मंत्री:
 - (i) संस्थान के नियमों तथा कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार संस्थान के कार्यकलापों की व्यवस्था करना।
 - (ii) संस्थान के उपक्रमों की देखभाल करना और उनके स्टॉफ पर नियंत्रण रखना।
 - (iii) कार्यकारिणी समिति की ओर से सभी पत्र-व्यवहार करना और संस्थान के अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होना तथा जब मांगे जायें तो उन्हें प्रस्तुत करना।

- (iv) कार्यकारिणी समिति की तथा अन्य बैठकों की व्यवस्था करना और कार्यवाही अभिलिखित करना।
- (v) स्टॉफ और संस्थान के कर्मचारियों को छुट्टी प्रदान करना और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी दशा हो, की स्वीकृति से अनुपस्थित होने वालों के रथान पर कार्यवाहक प्रबन्ध करना।
- (vi) वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना और कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करना।
- (vii) 25000/- रुपये तक के व्यय की कोई एक मद कार्यकारिणी समिति से सहमति के प्राप्त होने के प्रतिबन्ध सहित, अपने प्राधिकार से स्वीकृत करना।
- (viii) संयुक्त मंत्री को कार्य देना और शक्तियाँ प्रतिनिधित्व करना।

(ङ्) कोषाध्यक्षः

- (i) संस्थाओं के वित की देखभाल करना और अनुदान एकत्र करना तथा चन्दा प्राप्त करना।
- (ii) संस्थान की 5000/- रुपये से अधिक की समर्त धनराशि को बैंक में जमा करना और मंत्री अथवा अध्यक्ष द्वारा पारित सभी बिलों को भुगतान करना।
- (iii) कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार संस्थान के लेखों का रख-रखाव करना।
- (iv) कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित लेखों को प्राप्त करना।
- (v) अपने द्वारा संस्थान हेतु प्राप्त धनराशि की रसीदें जारी करना।
- (vi) वार्षिक और अनुपूरक बजट तैयार करना और उनको कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(च) शिक्षा मंत्रीः

- (i) संस्थान की शिक्षण संस्थाओं में उत्तम शिक्षा देने और उसके प्रबन्ध के लिए कार्यकारिणी समिति की सहायता करना।
- (ii) जब आवश्यक हो तो संस्थाओं का दौरा करें और कठिपय प्रमुख विषयों पर जैसे- शिक्षा अनुशासन, स्वास्थ्य, अभिभावक सहयोग और कार्य के विवरण पर संस्थाओं के प्रमुखों को सलाह देना।
- (iii) कार्यकारिणी समिति को शिक्षा की प्रगति और शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करना और उनकी व्यवस्था करने हेतु उपाय करना व सुझाव देना।

(छ) संयुक्त मंत्रीः

- (i) मंत्री द्वारा दिए हुए संस्थान के किसी भी कार्य को करना।

- (ii) अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री के कार्य उसकी अनुपस्थिति में देखना।

(ज) मीडिया प्रभारीः मीडिया / प्रचार संबंधी कार्यों को देखना तथा संस्थान एवं इकाईयों से सम्बन्धित समाचारों का कवरेज कराना।

(झ) अवधि – संस्थान का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(ञ) भाषा– संस्थान के अभिलेख सामान्यतः हिन्दी में रखे जायेंगे।

(ट) बैंक से निकासी और जमा:

- (i) संस्थान का समर्त धन कार्यकारिणी समिति की सहमति से अनुसूचित बैंकों में रखा जायेगा।
- (ii) सभी चेकों का भुगतान अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(iii) यदि अध्यक्ष चाहे तो वह अपना यह अधिकार संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष / उपाध्यक्ष को प्रतिनिधानित कर सकता है।

(ठ) नियमों में परिवर्तन / संविधान संशोधनः

संस्थान की कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन उप-समिति का गठन किया जायेगा। संविधान संशोधन उप-समिति की अनुशंसा पर नियमों में परिवर्तन / संविधान संशोधन, पहले कार्यकारिणी समिति द्वारा पास किये जायेंगे तदोपरान्त साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होने चाहिए।

(ड) सामान्यः-

क. किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ – सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पत्र 100 रुपये फीस सहित 10 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान के पश्चात् प्राप्त की जा सकती हैं।

ख. संस्थान की इकाईयों के महत्वहीन हो गए एवं साधारण रेकार्ड्स केवल 08 वर्षों तक ही सुरक्षित रखे जायेंगे।

ग. प्रदेश या केन्द्र सरकार का, सोसायटी के ऊपर, जो स्कूल की चल एवं अचल सम्पत्ति की पूर्णतया स्वामी होगी, कोई अधिकार नहीं होगा और न वे उसके किसी भी कार्य में कोई बाधा डाल सकेंगे।

.....